

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई)

क्र.जे.पी.डी/उप मु.अ.(आर.ई एण्ड प्लान)/अ.अ/(आर.ई.)प.1201/प्रे 753 दिनांक 1.7.09


आदेश

विषय :-वर्ष 2009-10 में द्वितीय चरण के मांग-पत्र जारी करने के क्रम में।

निगम से जारी आर. ई. ओ.-205 दिनांक 20.03.09 में कृषि कनैक्शन जारी करने हेतु 50 % मांग पत्र 15 अप्रैल 2009 से 30 अप्रैल 2009 तक जारी करने का प्रावधान किया गया था, जो जारी किये जा चुके हैं। द्वितीय चरण के मांग पत्र 15 जुलाई 2009 से 31 जुलाई 2009 तक जारी होने हैं।

अब यह निर्णय लिया गया है कि द्वितीय चरण के मांग पत्र दिनांक 15.9.09 से 30.09.09 तक जारी किये जायें तथा 90 दिन की मांग पत्र के जमा होने की अवधि 31.12.09 तक जमा मांग पत्रों के 1/3 कनैक्शन जनवरी 2010 में, 1/3 कनैक्शन फरवरी 2010 में तथा बकाया 1/3 कनैक्शन मार्च 2010 में जारी किये जाये।

उक्त आदेश तीनों विद्युत वितरण कम्पनीयों पर लागू होंगे।


(एम.एल.गुप्ता)

उप मुख्य अभियन्ता (आर.ई एण्ड प्लान)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-उर्जा सचिव,राजस्थान सरकार,जयपुर ।
- 2-प्रबन्ध निदेशक,अजमेर विद्युत वितरण निगम लि,अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.जोधपुर को उक्त प्रकार के आदेश जारी करने हेतु ।
- 3-निदेशक (तकनीकी/वित्त) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।
- 4-मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।
- 5-सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर/कोटा जोन) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/कोटा ।
- 6-प्रावेधिक सहायक,प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
- 7-अधीक्षण अभियन्ता (पवस/जे.सी.सी./जेपीडीसी/प्लान/विधि) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. ।
- 8-अधीक्षण अभियन्ता (प्लान/पीपीएण्डएम) अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम अजमेर/जोधपुर ।